फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– **अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट** मु.नं. 137/सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12/19	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादीनी दुर्गाकंवर पत्नी मालसिंह जाति रावणाराजपूत निवासी मींगणा ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम मींगणा की जमाबन्दी संवत 2073–76 नया खाता खंख्या 169 पुराना खाता संख्या 100 में प्रार्थनी के पुत्र का नाम राजस्व रिकार्ड में कोजु पुत्र मालसिंह दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थनी के पुत्र का नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थनी के पुत्र का नाम देवीसिंह पुत्र मालसिंह है। प्रार्थनी के पुत्र का नाम देवीसिंह पुत्र मालसिंह किया जाने के आदेश फरमावे। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबंदी संवत 2073–76 में प्रार्थनी के पुत्र का नाम कोजु पुत्र मालसिंह दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थनी के पुत्र का सही नाम देवीसिंह पुत्र मालसिंह है। जो शुद्ध किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीनी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एंव उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मींगणा तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में नया खाता संख्या 169 पुराना खाता संख्या 100 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैः–	2019 00255

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	मींगणा	169/100	कोजु पुत्र मालसिंह	देवीसिंह पुत्र मालसिंह

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2020.03.18 16:29:22 IST
Reason: SelfAttested